25.04.2019. The rates offered in response ...
remain valid till 26.04.2019. Offer received after the stipulated date & time will not be entertained. Offers will be opened in the office of Cantonment Board, Delhi Cantt just after the prescribed time i.e. 12.00 noon on 25.04.2019. Detailed terms and conditions may be seen in the Office of Cantonment Board, Delhi Cantt at any working hours.

Sd/-

No. DCB/12/VI/Acctts./F.D/2019
Office of the Cantonment Board
Delhi Cantt-110010

Chief Executive Officer
Delhi Cantonment Board

outdoor multicolor LED DISPLAY BOARD for displaying ...
to be held and environmental parameters for 24X7 at the entrance gate of IARI, New Delhi which can be downloaded from tender link **iari.res.in** & **eprocure.gov.in** from the authorized vendors. **Tender ID : 2019_DARE_464577_1**

Last date of submission of online tender	:	24.5.2019 at 11.00 am
Date of Opening of online tender	:	25.5.2019 at 11.00 am

Asstt. Admn. Officer (Store)

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(CO-ORDINATION BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

PUBLIC NOTICE

Hindustan Times 23/4/19

It is notified for information of the General Public that as per the provisions of Section 135B of the Representation of the People Act, 1951, every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment in National Capital Territory of Delhi, who is residing in the Parliamentary Constituencies of Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan and entitled to vote on the day of poll, as detailed below in column No. 3 & 4 shall be granted a holiday on the day of poll so that he/she can cast his/her vote during General Election to the Lok Sabha, 2019.

S. No.	Phase	Date of Poll	Parliamentary Constituencies
1	2	3	4
UTTAR PRADESH			
1.	Third	23 April, 2019 (Tuesday)	Moradabad, Rampur, Sambhal, Firozabad, Mainpuri, Etah, Badaun, Aonla, Bareilly and Pilibhit
RAJASTHAN			
2.	Fifth	06 May, 2019 (Monday)	Ganganagar, Bikaner, Churu, Jhunjhunu, Sikar, Jaipur Rural, Jaipur, Alwar, Bharatpur, Karauli-Dholpur, Dausa, Nagaur
HARYANA			
3.	Sixth	12 May, 2019 (Sunday)	All Parliamentary Constituencies of Haryana

No deduction or abatement of the wages shall be made on account of above holiday and if any person is employed on the basis that he/she would not ordinarily receive wages for such a day, he/she nonetheless be paid wages he/she would have drawn had not a holiday been granted to him/her on that day.

Any contravention of the above provisions is punishable as per the provisions of Section 135B (3) of the Representation of the People Act, 1951.

(AMITABH KUNDOO)
Dy. Secretary (GAD/CN)

DIP/Shabdarth/0021/19-20

जगह पक्का कर ही। इस तरह कावदर की तरह सोनिया, दीपक और अमित ने भी अपने लिए मेडल पक्के कर लिए हैं। उत्तराखंड के बिष्ट ने कजाखस्तान के येरालियेव को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। 2017 के वर्ल्ड चैंपियन येरालियेव दो बार एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं।

किए हैं। इस प्रस्ताव से रजत का सुचारू रूप से कार्य करने में परेशानी हो सकती है। रविवार को हुई बैठक के दौरान जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए उनमें विनोद तिहारा, राजन मनचंदा, संजय भारद्वाज, आलोक मित्तल, अपूर्व गुप्ता, एसएन शर्मा, सुधीर अग्रवाल और नितिन गुप्ता शामिल हैं। प्रस्ताव में लिखा गया है, दो जुलाई 2018 को निदेशक मंडल ने अध्यक्ष को जो शक्तियां दी थीं उन्हें वापस लिया जाता है और सभी फैसले एपेक्स काउंसिल करेगी।' एक अन्य प्रस्ताव के तहत असोसिएशन के सीओओ जीआर सक्सेना की सेवाएं भी समाप्त करने का फैसला लिया गया।

मनचंदा का बदला मनः डीडीसीए जॉइंट निदेशकों के पास बहुमत नहीं है। उनके पक्ष में 16 में से आठ सदस्य है। अगर उन्हें एक और हस्ताक्षर मिल भी जाता है तो अध्यक्ष उनके फैसले पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।' सीओओ सक्सेना का कामकाज सीएफओ पीसी वैश को देखने को कहा गया है। डायरेक्टर्स लाए प्रस्ताव

को
ल्ड
मुथु ने 23वीं
ार को भारत
पियनशिप के
2:02.70 में
दर्शन भी है।
कवाड और
कामयाब रहे।
बाधा दौड़ में
जीता। सरिता
बाधा दौड़ में
पने सर्वश्रेष्ठ
ी क्वॉलिफाई
आठ मेडल

यन
और फिना
ड आयुवर्ग
रहे थे।
ने बताया,
नाम लेकर
पास बेस्ट
सिलेक्शन
वह ट्रायल
शाम होते-
बच्चों की
बताया कि
स्थित रहने
सके बारे में
ी जानकारी
र्ड बनाकर
र्सिटी में भी
ता था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(समन्वय शाखा)
दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

NBT
23/4/19

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत है तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में रहता/रहती है तथा मतदान करने का हकदार है, उनको नीचे दिए गए ब्यौरे के कॉलम संख्या 3 और 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा ताकि वे लोक सभा आम चुनाव, 2019 के लिए अपना वोट डाल सकें।

क्र.सं.	चरण	मतदान की तारीख	निर्वाचन क्षेत्रों के नाम
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
1	तीसरा	23 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)	मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ओनला, बरेली तथा पीलीभीत।
राजस्थान			
2	पांचवां	06 मई 2019 (सोमवार)	गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुञ्झुणु, सीकर, जयपुर रूरल, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली-ढोलपुर, दौसा, नागौर।
हरियाणा			
3	छठा	12 मई, 2019 (रविवार)	हरियाणा राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्र।

उक्त अवकाश के कारण कोई भी वेतन काटा या रोका नहीं जाएगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे आधार पर नियुक्त है कि उसे ऐसे दिन के लिए सामान्यतः कोई वेतन प्राप्त नहीं होगा, तब भी उसे ऐसा ही वेतन प्राप्त होगा जैसे उस दिन उसे कोई अवकाश नहीं दिया गया था। उक्त उपबंधों का किसी प्रकार से उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख (3) के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है।

हस्ता./-
(अमिताभ कुंडू)
उप-सचिव (सा.प्र.वि./समन्वय)

DIP/Shabdarth/0021/19-20